सं०सं०-एम-4-53/2007...2063/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

दिनांक- 11/3/16

विषय :- अनुदान/सहायक अनुदान के योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

वित्त विभागीय संकल्प सं-96/वि०(2) दिनांक 03.01.2008 द्वारा योजना एवं गैर योजना मद में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है । संकल्प की कंडिका 5 के प्रावधानों को वित्त विभागीय संकल्प सं०-2190/वि० दिनांक 17.03.2008 द्वारा संशोधित किया गया ।

योजना एवं विकास विभाग का पत्र-यो०प्रा० 4/4-39/09-3909 दिनांक 09.12.2010 की कंडिका-2 में यह मुद्दा उठाया गया कि उपर्युक्त संकल्प में ऋण/अनुदान (Subsidy/Grant) की योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । अतः ऐसी योजनाओं की स्वीकृति हेतु सभी छोटी-बड़ी योजनाओं के प्रस्ताव प्राधिकृत समिति की बैठक में लाए जा रहे हैं, जिसके कारण प्रक्रियात्मक विलम्ब होता है । ऋण/अनुदान से सम्बन्धित योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी वस्तुस्थिति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प सं०-96/वि०(2) दिनांक 03.01.2008 (पत्रांक 2190 दिनांक 17.03.2008 द्वारा संशोधित) की कंडिका-5 के प्रावधान को 5(क) के रूप में अंकित करते हुए उसके बाद निम्नांकित कंडिका-(ख) जोड़े जायेंगेः-

"राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम/संकल्प/निर्णय द्वारा गठित बोर्ड, प्राधिकार, एजेंसी एवं सोसाइटी अथवा किसी योजना विशेष के कार्यान्वयन हेतु गठित Special Purpose Vehicle के अनुदानित/सहायक अनुदानित स्कीमों को प्रशासनिक स्वीकृति वैसे ही प्रदान किया जायेगा, जैसे योजना एवं गैर-योजना के अन्तर्गत अन्य स्कीमों का प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है ।"

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि मित्तल) 11/3/16

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-एम-4-53/2007- 2063-/वि०, पटना, दिनांक- 11/3/16

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव 11/3/16

ज्ञापांकः-एम-4-53/2007- 2063-/वि०, पटना, दिनांक- 11/3/16

प्रतिलिपिः- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव 11/3/16

ज्ञापांकः-एम-4-14/2015- 2063-/वि०, पटना, दिनांक- 11/3/16

प्रतिलिपिः- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव 11/3/16

Pramod\Sec-4\S.No.-29